न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2024

(GCMS 2024/12)(21200402653098 8)

मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी चक 5 के एस डी पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 13.12.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2019 एवं राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 24.04.2019 में दिए गए निर्देशों के क्रम में उक्तानुसार गठित PLPC प्रकोष्ठ राजस्व (गुप–6) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 24.04.2019 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की प्रमाणित सूदा नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)()राजस्व/विविध/2023/[illegible]480 दिनांक 12.02.[illegible] से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अपीलार्थी श्री मुकुन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह, चक 5 केएसडी, पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2023 (कार्यालय हाजा को प्राप्ति दिनांक 14.12.2023) के संदर्भ में लेख है कि पूर्व में आवेदनकर्त्ता द्वारा आरटीआई के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ12(11)()राजस्व/विविध/2023/146 दिनांक 12.01.2024 से प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रार्थी प्रेषित सूचना पत्र क्रमांक एफ12(11)()राजस्व/विविध/2023/146 दिनांक 12.01.2024 मय संलग्नकों की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

(अरविन्द्र कुमार जाखड़)
लोक सूचना अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)()राजस्व/विविध/2023/146 दिनांक 12.01.2024 **से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2023 से चाही गई सूचना पत्र के संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
प्रभारी अधिकारी
राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)()राजस्व / विविध / 2023 / 146 दिनांक 12.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध हैं। इसलिए प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested